

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

उदयलाल

बनाम

मांगु वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं० 133

सन्

2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.10.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री संजय मौड हाजिर। हाजिर वकील वादी ने आदेशिका पर NOT PREEES अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी अपना वादपत्र नहीं चलना चाहते है। अतः कार्यवाही समाप्त की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 की और से अधिवक्ता ललित लढ़ा हाजिर। प्रतिवादी संख्या 3 की और से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है एवं शेष पक्षकारान की तलबी होना शेष है। हाजिर वकील वादी द्वारा की गई बहस बाबत् विद्रो का सुना गया। मनन किया। वादी स्वयं अपना वादपत्र नहीं चलना चाहता है ऐसी स्थिति में वकील वादी के निवेदन को स्वीकार जाता है। वादी का वाद अंतर्गत धारा 88-188-53-209 RTA 1955 को विद्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (तेजस्वी राणा)(I.A.S.) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़</p> 	

